



पर्यावरण संरक्षण शुल्क

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

राष्ट्रीय हरति अधिकरण को सौंपी गई **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** (CPCB) की रिपोर्ट के अनुसार, CPCB द्वारा एकत्र किये गए पर्यावरण संरक्षण शुल्क (Environment Protection Charge- EPC) और पर्यावरण क्षतिपूर्ति (EC) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च नहीं किया गया है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्र किये गए EPC और EC का 80% हिस्सा खर्च नहीं किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण शुल्क क्या है?

- EPC एक फंड है जिसका उपयोग **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** द्वारा **दिल्ली NCR** में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करने हेतु किया जाता है। CPCB पर्यावरण संरक्षण शुल्क फंड के तहत IIT और NEERI जैसे अन्य संस्थानों के साथ काम करता है।
- EPC **सर्वोच्च न्यायालय** के एक आदेश (एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामला, 1985) के अनुसार और दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सुधार तथा संबंधित कार्यों जैसे अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों व वाहन प्रदूषण नियंत्रण स्वास्थ्य प्रभाव अध्ययन तथा दिल्ली-NCR, पंजाब में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये वशिष्ट परियोजनाओं हेतु प्राप्त किया जाता है।
- CPCB को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा एकत्र किये गए पर्यावरणीय मुआवजे का 25% भी मिलता है। यह विभिन्न मामलों में प्रदूषण फैलाने वालों/डिफॉल्टरों से सीधे पर्यावरणीय दंड भी वसूल करता है।
 - वर्ष 2016 में **सर्वोच्च न्यायालय** ने **दिल्ली और NCR में 2000cc** तथा उससे ऊपर की डीज़ल कारों की **बकिरी पर 1% का EPC** लगाया।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति क्या है?

- EC एक उपकरण है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और प्रदूषण से होने वाले नुकसान को कम करना है। यह **"प्रदूषक भुगतान"** के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि जो लोग पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिये ज़िम्मेदार हैं, उन्हें इसकी बहाली की लागत या इससे होने वाले नुकसान के क्षतिपूर्ति का वहन करना चाहिये।
- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अंतर्गत पर्यावरण को प्रदूषित करने अथवा कृत्यों के माध्यम से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले **संबद्ध व्यक्तियों, कंपनियों** अथवा संस्थाओं पर **मौद्रिक दंड** अधिरोपित किया जाता है।
- इन दंडों का उद्देश्य पर्यावरणीय क्षति से जुड़ी लागत की वसूली करना और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम करना है।

CPCB क्या है?

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** एक वैधानिक संगठन है है जिसका गठन वर्ष 1974 में **जल (प्रदूषण नविवरण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत किया गया था।
- CPCB को **वायु (प्रदूषण नविवरण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के अधीन भी शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए।
- यह एक कषेत्रीय गठन के रूप में कार्य करता है और **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के प्रावधानों के तहत पर्यावरण तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय हरति अधिकरण क्या है?

- **स्थापना:** **राष्ट्रीय हरति अधिकरण (National Green Tribunal- NGT)** की स्थापना अक्टूबर, 2010 में **राष्ट्रीय हरति अधिकरण अधिनियम, 2010** के तहत की गई थी।
 - इसका प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित एवं कुशल समाधान की सुविधा प्रदान करना है।
 - वर्तमान में **NGT की बैठक के लिये नई दिल्ली प्रमुख स्थान** है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई को ट्रिब्यूनल की बैठक के अन्य

चार स्थानों के रूप में नामित किया गया है।

■ **संरचना:**

- अधीकरण का अधीकष इसका प्रमुख होता है जो प्रधान पीठ का पद धारण करता है और इसमें न्यूनतम 10 कति 20 से अधीक न्यायक सदस्य तथा वशीषज्ज सदस्य होते हैं।

- अधीकष की नयुकृती **भारत के मुख्य न्यायाधीश** के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

- न्यायक सदस्यों और वशीषज्ज सदस्यों की नयुकृती के लयि केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समती का गठन कयिा जाता है।

■ **कानूनी अधीदेश:** अधीकरण का कषेत्राधीकार **पर्यावरणीय अधीकारों को कार्यान्वती करने, वयकृतयों और संपत्ती के नुकसान के लयि राहत, कषतपूरती** प्रदान करने, पर्यावरण संरक्षण से संबंधती समस्या का समाधान करने तक वसित्तु है।

- यह **प्राकृतक न्याय के सदीधांतों** द्वारा नरीदेशती, **नागरक प्रकृतयिा संहती, 1908** में नरीधारती **प्रकृतयिात्मक नयिमें** से स्वतंत्र रूप से संचालती होता है।

- **राष्ट्रीय हरती अधीकरण अधनयिम्, 2010 की अनुसूची-I** में उल्लखती कानूनों में शामिल वषियों से संबंधती पर्यावरणीय कषत के लयि राहत और मुआवजे की मांग करने वाला कोई भी वयकृती, अधीकरण से संपर्क कर सकता है। **अनुसूची-I में कानून हैं:**

- **जल (प्रप्रदूषण नवीारण और नयितरण) अधनयिम्, 1974**

- **जल (प्रदूषण नवीारण और नयितरण) उपकर अधनयिम्, 1977**

- **वन (संरक्षण) अधनयिम्, 1980**

- **वायु (प्रदूषण नवीारण और नयितरण) अधनयिम्, 1981**

- **पर्यावरण (संरक्षण) अधनयिम्, 1986**

- **सारवजनक दायतीव बीमा अधनयिम्, 1991**

- **जैवक ववधिता अधनयिम्, 2002**

UPSC सवलती सेवा परीक्षा, वगती वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. हमारे देश के शहरों में वायु गुणता सूचकांक (Air Quality Index) का परकिलन करने में साधारणतया नमिनलखती वायुमंडलीय गैसों में से कनिको वचिर में लयिा जाता है? (2016)

1. कार्बन डाइऑक्साइड
2. कार्बन मोनोक्साइड
3. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
4. सल्फर डाइऑक्साइड
5. मेथेन

नीचे दयिे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयिे

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

??????:

Q.1 वशीव स्वास्थय संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा हाल ही में जारी कयिे गए संशोधती वैश्वक वीा गुणवत्ता दशीा-नरीदेशों (ए.क्यू.जी.) के मुख्य बनीदुओं का वरणन कीजयिे। वगती वर्ष 2005 के अदयतन से, ये कसि प्रकार भनन हैं ? इन संशोधती मानकों को प्राप्त करने के लयिे, भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में कनिके परविरतनों की आवश्यकता है ? (2021)